



भारत सरकार

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य)

Ministry of Environment, Forest and Climate Change
Regional Office (Central Region)



केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ-226024

Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector-H, Aliganj, Lucknow- 226024, Telefax: 2326696, 2324340, 2324047, 2324025
Email: (Env.) m_env@rediffmail.com, (Forest) goimoeofrolko@gmail.com

पत्र सं० 8बी/यू.पी./09/105/2016/एफ.सी./459

दिनांक: 8/12/16

सेवा में,

नोडल अधिकारी एवं मुख्य वन संरक्षक (वन संरक्षण),
वन विभाग, 17 राणा प्रताप मार्ग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।


विषय : गेल इण्डिया लि० (जगदीशपुर हल्दिया एण्ड एपर लाइन) द्वारा 18१ ब्यास की गैस पाइप लाइन डालने हेतु इलाहाबाद, जौनपुर, वाराणसी, काशी वन्य जीव प्रभाग, रामनगर, आजमगढ़ एवं गोरखपुर वन प्रभागों में कुल 0^५4828 हे० संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 14 वृक्षों पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति।

सन्दर्भ : नोडल अधिकारी एवं मुख्य वन संरक्षक (वन संरक्षण), के पत्रांक 111/11-सी-एफ०पी०/others/20094/2016 दिनांक 23.11.2016

महोदय,

उपरोक्त विषय पर मुझे आपके पत्र का संदर्भ लेते हुए सूचित करने का निर्देश हुआ है कि प्रस्ताव के निरीक्षण के उपरान्त प्रस्ताव में त्रुटियाँ पायी गयी हैं जो निम्नलिखित हैं—

1. The kml/kmz files submitted in CD are not opening.
2. As per the GIS DSS analysis a portion of proposed compensatory afforestation site falls in Medium Dense Forest (MDF) which is not suitable for plantation purposes.
3. The details of trees as per enumeration list uploaded do not match with the hard copy. The enumeration list of Social Forestry Division, Jaunpur mentions three trees in hard copy and NIL in part II uploaded online. This needs clarification.
4. The proposal has been submitted without examining at least three alternatives to arrive at minimum forest land for diversion. Though in justification uploaded (page 113 of hard copy) it is mentioned that PF patches falling are unavoidable and forest land diversion is imperative.
5. The gazette notification for all the patches proposed for diversion has not been uploaded.
6. The details of area calculation patch wise has not been provided with the uploaded proposal.
7. Detailed compensatory afforestation scheme has not been uploaded with the proposal. The compensatory afforestation scheme from page 135 to 146 is without incorporating cost escalation due to inflation.
8. The details of employment generation in Part I uploaded and Hindi version of Part I with hard copy is at variance.
9. The details of area calculation in land schedule at page 40 has not been provided.
10. The certificate under FRA 2005 of District Jaunpur is mere photocopy and for District Azamgarh has not been signed by the concerned DM.


8/12/16

आपसे अनुरोध है कि उल्लिखित बिन्दुवार त्रुटियों को दूर करके संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत करें।
प्रस्ताव मूल रूप में वापस किया जाता है।


भवदीय,

संलग्नक— मूल प्रस्ताव

(बृजेन्द्र स्वरूप)
वन संरक्षक {केन्द्रीय}

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. विशेष सचिव (वन), वन अनुभाग, बापू भवन, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
2. वन संरक्षक / क्षेत्रीय निदेशक, इलाहाबाद, वाराणसी, एवं आजमगढ़।
3. प्रभागीय निदेशक/ वनाधिकारी, इलाहाबाद, जौनपुर, वाराणसी, काशी वन्य जीव प्रभाग, रामनगर, आजमगढ़ एवं गोरखपुर सामाजिक वानिकी प्रभाग, उ० प्र०।
4. मुख्य प्रबन्धक, (निर्माण), गेल इण्डिया लि०, लखनऊ।
5. श्री कमल मिश्रा, राजभाषा अनुभाग, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु प्रेषित।
6. आदेश पत्रावली।


(बृजेन्द्र स्वरूप)
वन संरक्षक {केन्द्रीय}